फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी विनोद विपक्षी गोपीदास

किस्म मुकदमा 53,188 RTAct पत्रावली संख्या 36/22 सन् ____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	8/5/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. स्था. वादी के लिये मौका चाहते है। अतः अंतिम स्वतः कंकी शर्त पर अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 10/6/25 को पेश हो। (SDO) मावली	
	10/6/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. स्था. वादी के लिये मौका चाहते है। अतः अंतिम स्वतः कंकी शर्त पर अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 29/7/25 को पेश हो। (SDO) मावली	
	29/07/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय सॉय 5:00PM हो चुके हैं। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से पत्रावली वर्तमान में साक्ष्य वादी में लम्बित है। वादीगण को साक्ष्य पेश करने हेतु करीब 2 वर्ष का समय दिया जा चुका है परन्तु वादीगण द्वारा अब तक साक्ष्य पेश नहीं किये गये इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वादीगण अपने वाद के प्रति सजग नहीं है एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। आज भी वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। अतः अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद अदम [illegible] में खारिज किया जाता हैं। पत्रावली [illegible] से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया [illegible]। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली • जिला-उदयपुर (राज.) • सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:43 IST
Reason: SelfAttested